राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सं0–सामु0सह0–हा0हो0सर्वे/1902/2016–17 लखनऊ दिनांक 27 जुलाई 2016 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2016 की बैठक की कार्यवृत्त :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्यतःउपलब्ध कराने का प्राविधन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु माह 30 मार्च से 30 अप्रैल, 2016 में स्कूल चलो अभियान, विद्यालय उत्सव, रैली आदि कार्यक्रम संचालित किये गये है। दिनांक 01–15 जुलाई 2016 की अवधि में नामांकन पखवाड़ा व प्रवेश उत्सव कार्यक्रम विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं अभिभावक को शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित हो चुका है।

प्रदेश के समस्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 6–14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन का कार्य हाउस होल्ड सर्वे द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2016 से 20 अगस्त, 2016 की अवधि के मध्य सम्पन्न किया जाना है। उक्त हेतु महोदय की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 30.07.2016 आहूत की गयी है तथा उक्त बैठक में नगर आयुक्त /अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना है तथा जनपद स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे की कार्ययोजना इस प्रकार तैयार करायी जानी है कि शत्–प्रतिशत परिवारों का आच्छादन हो सके तथा 6 से 14 वर्ष तक कोई भी बच्चा सर्वे से छूटने न पाये। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हाउस होल्ड सर्वे कार्य को समयबद्ध सम्पादित करने के लिए निम्न दिशा निर्देश दिये गये–

1– जनपद के समस्त नगर क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3–5 एवं 6–14 वय वर्ग के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे किया जाय।

2– बस्तीवार/मजरेवार शिक्षकों की ड्यूटी लगाना/ तथा प्रत्येक मजरे/बस्ती के सभी घरों एवं परिवारों का आच्छादन सुनिश्चित किया जाय, नगर क्षेत्र में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने पर प्रत्येक अध्यापकों के साथ एक–एक सफाई कर्मी लगाये जायेंगे तथा Civil Defence को ड्यूटी में लगाये गये कर्मियों की सूची फोन नम्बर के साथ उपलब्ध करायी जाय।

3– हाउस होल्ड सर्वे के कार्य में विद्यालय प्रबन्ध समितियों/मार्गदर्शक मण्डल का सहयोग लिया जाय।

4– निर्वाचन नामावली के अनुसार वोटर लिस्ट के आधार पर स्लम एरिया व झुग्गी, झोपड़ी मे रहने वाले परिवारों तथा माइग्रेटेड शार्ट टर्म शिफ्टेड एवं ट्रान्सफर्ड परिवारों को भी सम्मिलित किया जाय।

5– नगर विकास विभाग द्वारा चिन्हित स्लम एरिया में कराए गए सर्वेक्षण का विवरण प्राप्त कर सर्वेक्षण मिलान कराया जाय।

6– श्रम विभाग से सम्पर्क कर बाल श्रमिकों की सूची प्राप्त कर हाउस होल्ड सर्वे के आंकड़ो से मिलान/सत्यापन कराया जाए।

7– सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेशन बस स्टैण्ड, मलिन बस्तियों, झुग्गी, झोपड़ी, ढाबा इत्यादि मे रहने वाले, ईट भट्टों कारखानों में कार्य करने वाले ऐसे बच्चें जो स्थायी निवास न होने या परिवार की परिधि में न होने के कारण छूट जाते है उन बच्चों को विशेष रूप से सर्वे में सम्मिलित किया जाय।

8– सर्वे हेतु जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर सर्वे कार्य का समयबद्ध सम्पादन सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बैठक समाप्त हुई।

जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता, चन्दौली।	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली।	जिलाधिकारी चन्दौली।

पृ.सं./ 1649 – 62 /2016–17 तद्दिनांकित– 05-08-2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. राज्य परियोजना निदेशक, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/जिला परियोजना समिति अध्यक्ष, चन्दौली
3. अपर जिलाधिकारी, चन्दौली।
4. महा–प्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चन्दौली।
5. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चन्दौली।
6. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सैयदराजा।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चकिया।
8. सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, चन्दौली।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुगलसराय, चन्दौली।
10. जिलाप्रोबेशन अधिकारी, चन्दौली।
11. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चन्दौली।
12. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, चन्दौली।
13. समस्त जिला समन्वयक, चन्दौली।
14. कार्यालय गार्ड फाईल।

(चन्दना राम इकबाल यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।